

27.01.2026

वकील वादी उपपारथित । न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय से वकील मय वादी को आवाजे दिलवाई गई । लेकिन वकील व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है । सिद्दाजा वादी का गद्द अदम पैरवी व अदम घाजिरी में खारिज किया जाता है ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर डाखिल इफतर हो ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा